

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-बी/5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक 1586 /न.नि.(2)/स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस/2023-24,
सेवा में

दिनांक: 04.12.2023

1. आवास आयुक्त

उ.प्र. आवास एवं विकास
परिषद, उ.प्र.
लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,

लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ,
गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद-
शिकोहाबाद,सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं मथुरा-वृन्दावन विकास
प्राधिकरण उ.प्र.।

विषय: स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट-2023-24 भाग-3
(नगरीय नियोजन सुधार) के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के सन्दर्भ में
सूचना/विवरण उपलब्ध कराने विषयक।


महोदय,

उपरोक्त विषय कृपया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एण्ड अर्बन एफेयर्स, भारत सरकार द्वारा वांछित सूचनाओं का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रोजेक्ट की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में विदित है कि भारत सरकार से इन्सेन्टिव क्लेम करने के लिए रोड-मैप प्रेषित किया गया है। उक्त रोड-मैप के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रु. 2358.20 करोड का क्लेम किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की नाम एवं उनकी लागत उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ताकि उनके द्वारा इन्सेन्टिव क्लेम के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि उपलब्ध करायी जा सके। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या-1543/न.नि.(2)/तकनीकी विविध/2023-24, दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से प्रोजेक्ट की सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था।

2. उपरोक्त के क्रम आपके अभिकरण द्वारा प्रेषित सूचनाओं को संकलित कर भारत सरकार को इस कार्यालय के पत्र संख्या-1575/न.नि.(2)/तकनीकी विविध/2023-24, दिनांक 01.12.2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रोफार्मा की प्रति संलग्नकर अनुरोध है कि कृपया योजनाओं का नाम एवं पूर्ण लागत सम्बन्धी विवरण भारत सरकार द्वारा प्रेषित उक्त प्रोफार्मा पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक/तदैव:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ।

2 मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली।

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

F. No. 44 (1)/PF-S/2023-24 (CAPEX)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(Public Finance - States Division)

North Block, New Delhi.
Dated : the 3rd February, 2023

To,

The Chief Secretary,
All State Governments,
(As per list attached)

Subject: Guidelines on the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24.

Madam/ Sir,

In view of numerous beneficial impacts of capital expenditure including a high multiplier effect, enhancement in the future productive capacity of the economy, and promotion of a higher rate of growth of economy, the Ministry of Finance, Government of India, despite a tight fiscal situation is implementing Schemes for Special Assistance to States for Capital Expenditure/ Investment since 2020-21. Under these schemes, financial assistance has been provided to the State Governments in the form of 50-years' interest free loan.

2. After taking into consideration an extremely positive response of the State Governments to these Schemes and their requests for having a similar Scheme in 2023-24 as well, the Government of India has decided to launch a redesigned and expanded Scheme for the year 2023-24 to facilitate a higher capital investment by the States. The Scheme has been named as "**Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24**". An amount of Rs.1,30,000 crore has been allocated for the Scheme in the financial year 2023-24. Under the Scheme, financial assistance will be provided to the State Governments in the form of 50-year interest free loan for capital investment projects. Loan of upto 1 per cent of GSDP provided under the Scheme will be over and above the normal borrowing ceiling allowed to the States for the financial year 2023-24. The loan amount is to be spent within the financial year 2023-24.

3. The Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 has following parts:

- (i) **Part-I (Untied):** An amount of Rs.1,00,000 crore is earmarked for Part-I of the Scheme. This amount has been allocated amongst States in proportion to their share of central taxes & duties as per the award of the 15th Finance Commission. State-wise allocation of funds under this Part is given in **Annexure-1**. Under this Part of the Scheme, States are required to submit capital works/ projects proposed to be taken up by them in 2023-24 in the format given in **Annexure-2**.

Funds under this Part will be released to States in 3 equal installments. The first installment of 33.3 percent of the approved amount will be released to the State government on meeting the mandatory conditions given in Para (4) and on approval of the list of the capital projects submitted by the State. Any amount released to the State under the Scheme for "Special Assistance to States for Capital Investment 2022-23", which is not utilized by the State till 31st March, 2023 will be deducted from the first installment. The 2nd installment will be released on utilization of at least 75 percent of the amount released in the first installment. The 3rd installment under this Part will be released on utilization of the 75 percent of the amount released in first two installments and on meeting 45 percent of the total target fixed for Capital Expenditure by the State in 2023-24. State-wise details of the target fixed for Capital Expenditure is given in **Annexure-3**.

The target has been arrived at on the basis of Capital Expenditure of the State in 2021-22 and by applying normative growth rate of 10 percent per annum for 2022-23 and 2023-24. Capital Expenditure of the State in 2021-22 has been taken from Statement No.(5) of State Finance Accounts, wherever available, after excluding the funds provided by the Government of India under the Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure/Investment. Wherever, State Finance Accounts for 2021-22 are not available, target for the State has been provisionally fixed by taking Capital Expenditure of the State in 2021-22 as per Provisional Accounts available at Comptroller and

Auditor General of India (CAG) website under the heading 'Monthly Key Indicators'. The target will be finalized on the availability of State Finance Accounts.

For determination of Capital Expenditure by States, data uploaded by CAG on its website under "Monthly Key Indicators" would be used. Capital expenditure would exclude the amount released to State under the Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure during the year. Further, it may be noted that on availability of CAG audited State's Finance accounts, the Capital Expenditure of the States in 2023-24 would be considered as per Statement No. (5) and will exclude the repayment of public debt/loans/financial liabilities by the State and any transfer to the State under the Scheme for "Special Assistance to the States for Capital Investment 2023-24'.

Eligibility of a State for incentive under this Part will be reviewed twice in a year by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. The State will submit documentary evidence in support of their claim of surpassing the targeted Capital Expenditure. The first review will be done during November/ December, 2023 on the basis of Capital Expenditure incurred by the State during the first half of the year 2023-24 (April, 2023 to September, 2023). In case the State is found to have achieved the target, the third installment under Part-I will be released to the State.

The Second review of the actual Capital Expenditure by the State will be taken up during the month of June, 2024. In case the State has claimed the 3rd installment based on achievement of the target fixed till 30th September, 2023 but has failed to meet the target for Capital Expenditure set for the entire financial year 2023-24, 100 percent of the amount released to the State as 3rd installment under Part-I of the Scheme will be deducted from borrowing ceiling of the State for 2024-25 or from the funds allocated under the Scheme in 2024-25, if the Scheme or a similar Scheme is implemented in 2024-25.

- (ii) **Part-II (Incentives for Scrapping of Old Vehicles):** An amount of Rs.3,000 crore is earmarked for this Part. This Part of the Scheme aims at providing incentives to States for scrapping of State Government vehicles and ambulances which are older than 15 years, waiver of liabilities on old vehicles, providing tax concessions to individuals for scrapping of old vehicles and setting up of automated vehicle testing facilities. Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) will issue detailed procedural/ operational guidelines to the State Governments in the matter in consultation with the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

The States after achieving each of the prescribed milestones will submit a report to MoRTH. MoRTH will examine the same and make recommendations to the Department of Expenditure for release of incentive amount if the State has met the criteria prescribed by MoRTH. The States will be free to propose any capital investment project from the incentive amount. The proposal should be submitted as per guidelines of the scheme and in the format prescribed at **Annexure-2** of these guidelines.

- (iii) **Part-III (Urban Planning Reforms):** An amount of Rs.15,000 crore is earmarked for this Part of the Scheme. Detailed guidelines under this Part of the Scheme will be issued separately.

- (iv) **Part-IV (Financing Reforms in Urban Local Bodies to make them creditworthy for Municipal Bonds and for Issue of Municipal Bonds):**

An amount upto Rs.5,000 crore will be provided under this Part of the Scheme. Detailed guidelines under this part of the scheme will be issued separately.

- (v) **Part-V (Housing for Police personnel above or as part of Police Stations in Urban Areas):** This Part of the Scheme aims at increasing the housing facility for the police personnel and their families in urban areas. It further aims to save the time and energy of the police personnel wasted in commuting to reach the place of their duty. It will also help in quick response in case of any law and order problem or disaster. An amount of Rs.2,000 crore is earmarked for this Part of the Scheme. This amount will be available

to the States for building housing facilities for police personnel above or as part of police stations in urban areas.

Each State will notify an agency of the State as the **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI)** nodal agency for implementing this Part of the Scheme. The agency will open a savings account in a scheduled commercial bank and will onboard the same on Public Financial Management System (PFMS). The first installment of 50 percent of the approved amount will be released to the State for transfer to the bank account of the SASCI nodal agency on approval of the project. The 2nd installment of remaining 50 percent will be released on or before 31st March, 2024 based on the progress made. In case the nodal agency is not able to complete the project within the stipulated time period, the amount available in the bank account will be returned to the Central Government. Interest accrued on this amount will also be deposited in the Consolidated Fund of India through Non-Tax Receipt Portal (NTRP) within 10 days of its credit in the nodal account.

- (vi) **Part-VI (Construction of Unity Malls):** An amount of Rs.5,000 crore is earmarked for this Part. This Part of the Scheme aims to promote national integration, carry forward the concept of “Make in India” and promote the concept of “one district, one product”. States are encouraged to set up a Unity Mall in their State capital (or most prominent tourism centre or the financial capital) for promotion and sale of their own ODOPs (one district, one product), GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other States. In this Part, financial assistance to the States will be provided for construction of one such mall in a State. The land for the mall will be made available free of cost by the State Government.

Each State will notify a SASCI nodal agency for implementing this Part of the Scheme. The nodal agency will open a savings account in a scheduled commercial bank and will onboard the same on PFMS. The first installment of 50 percent of the approved amount will be released to the State for transfer to bank account of the SASCI nodal agency on approval of the project. The 2nd installment of the remaining 50 percent will be released on or before 31st

March, 2024 based on the progress made. In case the State Government/ SASCII nodal agency is not able to complete the project within the stipulated time period, the amount available in the bank account will be returned to the Central Government. Interest accrued on this amount will also be deposited in the Consolidated Fund of India through Non Tax Receipt Portal (NTRP) within 10 days of its credit in the nodal account.

(vii) Part-VII (Children and Adolescents' Libraries and Digital Infrastructure):

An amount of Rs.5,000 crore is earmarked for this Part of the Scheme. Under this Part, financial assistance will be provided to States for setting up of a physical library with infrastructure for accessing the National Digital Library resources at panchayat and ward level. Assistance under this Part of the Scheme will be provided to the States for the following:

- (i) Construction/ renovation of building
- (ii) Infrastructure for accessing the National Digital Library resources
- (iii) Purchase of Books

Guidelines for this Part will be issued separately.

(viii) Part-VIII (Incentive for implementing "Just-in Time" release of CSS funds by State Government to vendors and beneficiaries using RBI's e-Kuber Model and for timely release of Central and State Share of Funds to SNA): Under this Part, a State will be eligible for an incentive amount equivalent to 10 percent of the central share of a Scheme brought under the "Just-in Time" model through RBI's e-Kuber system. In addition, a State will be eligible for incentive of upto Rs.100 crore if as per SNA reports, more than 95 percent of the releases of the central share and the state share are made by the State Government in 2023-24 to the respective Single Nodal Agencies (SNAs) within the time limit prescribed by the Department of Expenditure, Government of India. Eligibility of the State to receive the incentive amount will be assessed in 1st week of January, 2024 based on the releases done by the State till 31st December, 2023.

4. **Mandatory conditions:** In order to avail benefits of any Part of the Scheme, in addition to the conditions prescribed under various Parts of the Scheme, a State is required to meet the following mandatory conditions:

- (i) Full compliance with the official name of all Centrally Sponsored Schemes (CSSs) [correct translation to local language is permissible] and any guidelines/instructions issued by the Government of India regarding branding of CSSs, in all Schemes of all Ministries.
- (ii) Integration of State treasuries with PFMS and exchange of data between State treasuries and PFMS in respect of all State Linked Schemes for CSS in a State for which the State has received funds from the Central Government in past 21 days.
- (iii) Deposit of central share of interest earned in SNA accounts till 31st March, 2023 in the Consolidated Fund of India and submission of a certificate to this effect in the format enclosed at **Annexure-4**, signed by the Finance Secretary of the State Government.

5. **Disincentives for delay in release of CSS funds to SNAs:** A deduction of an amount equivalent to 15 percent of the amount to be released as the 2nd installment of funds under Part-I of the Scheme will be made in case there is a delay beyond the time limit prescribed by the Government of India for release of Central Share and State Share to respective SNAs in more than 20 percent instances in 2023-24 till the date of approval of the 2nd installment by the competent authority.

6. Funds provided to the States under the Scheme by the Government of India may be used by the State Governments for new and ongoing capital projects, for long term benefit to the State. The funds may also be used for settling pending bills in ongoing capital projects.

7. Individual project with capital outlay of less than Rs.5 crore (Rs.2 crore for North Eastern States) and repair and maintenance projects irrespective of capital outlay will not be considered under the Scheme.

8. It is not mandatory for the States to submit proposals under all Parts of the Scheme together. States may submit proposals separately for each Part of the Scheme.

9. States (if they wish) may submit projects of a higher value than the funds allocated, indicating their preference/priority.

10. States may also use not more than 20 percent of the funds allocated under Part-I of the Scheme for contributing State's share for Jal Jeevan Mission (JJM), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Railway projects for 2023-24. Government of India also reserves the right to prioritize such projects for up to 20 percent of the funds in Part-I.

11. The Government of India reserves the right to reject any project which, in its opinion, does not have sufficient economic merit in terms of short-term stimulus combined with long-term benefits to the economy.

12. Funds not used by a State within a reasonable time may be reallocated to other States by the Government of India. In case of unavoidable changes in specific projects for which expenditure is sanctioned, State Government shall seek the approval of the Government of India for the change. Funds will not be released against un-approved changes and may be deducted from subsequent installments / tax devolution, if already released.

13. Expenditure by the States of the funds provided under the Scheme for purposes other than for which the funds were sanctioned, will result in the deduction of the amounts by the Government of India from the devolution of taxes/duties due to the State in subsequent periods. Application of the State for funds under the Scheme will constitute its consent for such deduction in respect of ineligible expenditure.

14. The projects posed by the State Governments may either be executed by Departments of the State or by PSUs or other agencies/ local bodies of the State Governments which are fully under the administrative control of the State Government.

15. The amount released by the Government of India shall be released by the State Government to the Implementing Agencies/Single Nodal Agencies of the State within 10 working days. Delay beyond this period will make the State liable to pay interest to the Government of India on the amount released as per the weighted rate of interest on Open Market Borrowings (i.e. 10 year G-Sec.) for the previous year.

16. The State Government shall ensure that there is no duplication in funding of the projects approved under the Scheme either with the funds provided by the Government of India or the State Government.

17. The consolidated Utilization Certificate for the amount utilized upto 31st March, 2023 in the Form 12-B of the GFRs, 2017 against the amount released in 2022-23 under the Scheme for 2022-23 duly signed by the Finance Secretary of State Government will be provided by the State Government failing which equivalent amount will be deducted from the 1st installment of funds released to the State under the Scheme for "Special Assistance to States for Capital Investment, 2023-24".

18. It is a condition of the Scheme that all amounts allocated under all Parts of the Scheme except Part-V (Police housing) and Part-VI (Unity Mall) shall be spent on eligible expenditure before 31st March, 2024. For this purpose, release of funds to intermediate agencies without actual payments to the final recipient (parking of funds) will not be treated as expenditure.


19. Decision of the Department of Expenditure, Ministry of Finance regarding eligibility for any component shall be final.

20. States shall extend necessary support to the NITI Aayog or any other agency entrusted by the Government of India with monitoring and evaluation of projects funded under the Scheme as needed.

21. These guidelines will come into effect from 1st April, 2023 subject to approval of the allocation proposed under the Scheme by the Parliament.

Encl: As above.

Yours faithfully


03/02/2023

(Deependra Kumar)
Director (PF-S)
Tel: 011-23094904

Annexure-1**Allocation to States of Rs.1,00,000 crore under Part-I of the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24****(Rs. in crore)**

S. No.	State	Inter se Share of State in central taxes & duties (in percent)	Allocation under Part-I
1	Andhra Pradesh	4.047	4,047
2	Arunachal Pradesh	1.757	1,757
3	Assam	3.128	3,128
4	Bihar	10.058	10,058
5	Chhattisgarh	3.407	3,407
6	Goa	0.386	386
7	Gujarat	3.478	3,478
8	Haryana	1.093	1,093
9	Himachal Pradesh	0.83	830
10	Jharkhand	3.307	3,307
11	Karnataka	3.647	3,647
12	Kerala	1.925	1,925
13	Madhya Pradesh	7.85	7,850
14	Maharashtra	6.317	6,317
15	Manipur	0.716	716
16	Meghalaya	0.767	767
17	Mizoram	0.5	500
18	Nagaland	0.569	569
19	Odisha	4.528	4,528
20	Punjab	1.807	1,807
21	Rajasthan	6.026	6,026
22	Sikkim	0.388	388
23	Tamil Nadu	4.079	4,079
24	Telangana	2.102	2,102
25	Tripura	0.708	708
26	Uttar Pradesh	17.939	17,939
27	Uttarakhand	1.118	1,118
28	West Bengal	7.523	7,523
		100.00	1,00,000

Application format for providing requisite details of the Projects (Summarized)

Letter No:.....

Date:...../...../.....

To,
The Secretary, Expenditure,
Ministry of Finance,
Government of India.

Subject: Approval of projects under the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment, 2023-24.

Sir,

With reference to your letter F. No. 44(1)/PF-S/2023-24 (CAPEX) dated 03.02.2023 we would like to submit the following projects under the aforesaid scheme.

Sl. No.	Name of the Project	Type of Project	Sector	Location	Whether New or Ongoing	In case of ongoing		Project Capital Outlay for 2023-24	Special Assistance (Loan) sought under the Scheme for 2023-24	Completion Period	Implementing Agency	Economic Justification (in brief)	Other Details (if any)
						Percentage completion as on 01.04.2023	Unpaid bill (if any) as on 01.04.2023						
1.													
Total													

Note: Detailed Project Report (DPR) in respect of each project has been obtained by the State Government and kept in the records by State Finance Department.

Yours sincerely

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
Finance Department,
Government of _____

Annexure-3**Target for capital expenditure for States for 2023-24 for release of 3rd installment under Part-1 of the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24**

(Rs. in crore)

S. No.	State	Capital Expenditure of State in 2021-22	Fund released in 2021-22 under SASCE Scheme	Capital Expenditure excluding SASCE 2021-22	Target for Capital expenditure for 2023-24 excluding SASCI
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)-(d)	(f)=(e)* 1.21
1	Andhra Pradesh*	16795	502	16293	19715
2	Arunachal Pradesh*	6477	371	6106	7388
3	Assam*	20130	600	19530	23631
4	Bihar*	24091	1247	22844	27641
5	Chhattisgarh	10504	423	10081	12198
6	Goa*	2639	111	2528	3059
7	Gujarat*	28183	432	27751	33579
8	Haryana	11046	135	10911	13202
9	Himachal Pradesh	6029	800	5229	6327
10	Jharkhand*	9377	246	9131	11049
11	Karnataka	47874	452	47422	57381
12	Kerala*	13852	239	13613	16472
13	Madhya Pradesh	40733	1512	39221	47457
14	Maharashtra	46670	772	45898	55537
15	Manipur*	3459	213	3246	3928
16	Meghalaya*	2749	281	2468	2986
17	Mizoram*	1018	300	718	869
18	Nagaland*	9730	300	9430	11410
19	Odisha*	23211	517	22694	27460
20	Punjab*	8010	224	7786	9421
21	Rajasthan*	23832	692	23140	27999
22	Sikkim*	1316	300	1016	1229
23	Tamil Nadu	37011	506	36505	44171
24	Telangana*	29105	214	28891	34958
25	Tripura*	1369	119	1250	1513
26	Uttar Pradesh*	70197	1483	68714	83144
27	Uttarakhand*	7534	264	7270	8797
28	West Bengal*	17620	933	16687	20191
	Total	520561	14188	506373	612712

* Provisional target based on the 'Monthly Key Indicators' available at website of CAG. Target for capital expenditure would be finalized on the availability of State Finance Accounts.

Government of _____ (State)

No. _____

Dated: _____

**CERTIFICATE REGARDING DEPOSIT OF CENTRAL SHARE OF INTEREST
ACCRUED IN SNA ACCOUNTS TILL 31ST MARCH, 2023 IN THE
CONSOLIDATED FUND OF INDIA**

It is hereby certified that the entire amount of Central share of interest accrued in the SNA accounts pertaining to all Centrally Sponsored Schemes (CSS) in the State has been deposited in the Consolidated Fund of India (CFI) in compliance of DoE's guidelines dated 23rd March, 2021 and instructions dated 30th June, 2021. The details of interest deposited is as follows –

Sl No	FY	Scheme	SNA Name	Total Interest accrued in the SNA account during the FY	Central share of Interest as per the approved funding pattern of the CSS	Amount of Central share of Interest deposited in CFI	Date of Deposit of Central share of Interest in CFI	Mode of Deposit (NTRP Portal, Cheque, Demand Draft, RBI Advice etc.)	Ref No of deposit (UTR No. etc)

Name:

Designation:

(To be signed by the
concerned Finance Secretary
of the State)

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-बी/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक 1575 /व.नि.(2)/स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स/2023-24,

दिनांक 01-12-2023

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय: Urban planning Reform - Submission of list of Capital investment projects.

महोदय,


कृपया स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट-2023-24 भाग-3 (नगरीय नियोजन सुधार) के सम्बन्ध में विदित है कि पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या-2076/2023/8-3099/245/2023 दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित रोड मैप तथा तद्विषयक भारत सरकार की अपेक्षा के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1009/व.नि.(2)/तकनीकी विविध/2023-24, दिनांक 12.09.2023 द्वारा भारत सरकार को संशोधित रोड मैप प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छाओं के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1116/व.नि.(2)/तकनीकी विविध/2023-24, दिनांक 26.09.2023 द्वारा पृच्छाओं का निराकरण किया गया।

2. भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट-2023-24 भाग-3 (नगरीय नियोजन सुधार) के सम्बन्ध में प्रथम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जानी है, जिस हेतु प्रदेश सरकार से कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट्स का विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में रु. 1532.37 करोड़ के प्रोजेक्ट के विवरण संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सुश्री डी.थारा, अपर सचिव (अमृत मिशन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.
कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट प्रोजेक्टस का विवरण

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत (रु. करोड में)
1	2	3	4
1	मुरादाबाद	07	37.00
2	सहारनपुर	04	1.62
3	बरेली	10	8.10
4	वाराणसी	15	88.03
5	अलीगढ़	32	19.85
6	मुजफ्फरनगर	60	10.42
7	आगरा	33	333.00
8	गोरखपुर	11	80.06
9	गाजियाबाद	42	432.96
10	मथुरा-वृन्दावन	10	306.48
11	झाँसी	04	81.31
12	फिरोजाबाद- शिकोहाबाद	08	53.10
13	मेरठ	05	39.34
14	कानपुर	10	17.71
15	प्रयागराज	08	10.42
16	लखनऊ	05	12.97
कुल		264	1532.37

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-वी/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक 1575 / व.नि.(2)/स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स/2023-24,

दिनांक 01-12-2023

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय: Urban planning Reform - Submission of list of Capital investment projects.

महोदय,

कृपया स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट-2023-24 भाग-3 (नगरीय नियोजन सुधार) के सम्बन्ध में विदित है कि पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या-2076/2023/8-3099/245/2023 दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित रोड मैप तथा तद्विषयक भारत सरकार की अपेक्षा के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1009/व.नि.(2)/तकनीकी विविध/2023-24, दिनांक 12.09.2023 द्वारा भारत सरकार को संशोधित रोड मैप प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छाओं के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1116/व.नि.(2)/तकनीकी विविध/2023-24, दिनांक 26.09.2023 द्वारा पृच्छाओं का निराकरण किया गया।

2. भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट-2023-24 भाग-3 (नगरीय नियोजन सुधार) के सम्बन्ध में प्रथम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जानी है, जिस हेतु प्रदेश सरकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में रु. 1532.37 करोड़ के प्रोजेक्ट के विवरण संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सुश्री डी.थारा, अपर सचिव (अमृत मिशन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

Urban planning Reform - List of Capital investment projects.

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	मुरादाबाद	1. काठ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाले 24.00 मी. चौड़े मार्ग का निर्माण कार्य व आवश्यक भूमि मूल्य।	18.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. अम्बेडकर पार्क (अशियाना योजना) का विकास कार्य।	4.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. जीरो प्वाइंट (दिल्ली रोड) से गागन नदी तक प्रवेश मार्ग उच्चीकरण का कार्य।	2.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		4. एकता विहार नाला निर्माण कार्य—प्रथम चरण।	5.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		5. ढक्का में नगर निगम की चांदमारी की भूमि पर प्रस्तावित महायोजना मार्ग का निर्माण प्रथम थरण।	6.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		6. काठ रोड पर हरथला में सड़क चौड़ीकरण व नाला निर्माण में प्राधिकरण का अंश।	1.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		7. मुसाफिरखाना के सामने सड़क चौड़ीकरण का कार्य हेतु प्राधिकरण का अंश।	0.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग—	37.00	
2	सहारनपुर	1. कोर्ट रोड पर स्थित रेलवे ओवर ब्रिज के दोनों ओर मिट्टी कटाने रोकने के लिए स्टोन पिचिंग का अवशेष कार्य।	0.59	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. जनता रोड पर स्थित नानकपुरम् कालोनी की मुख्य सड़क की सीसी निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	0.55	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. दिल्ली रोड पर डीपीएस स्कूल से मेडीग्राम हास्पिटल तक स्ट्रीट लाइट एवं विद्युतीकरण का कार्य।	0.27	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		4. मिथॉबाकी पद्धति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 हजार पौधे रोपित करने का कार्य।	0.20	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	1.62	
3	बरेली	1. सुरेश शर्मा नगर से वनखण्डीनाथ मन्दिर तक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु पोल्स एवं स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।	0.47	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. Engeering, procuring,Construction, Commissioing (EPC) by Five years Operaton and maintence work for 5 years of sewerage treatment plant 2 MLD Capacity based on " Sequential Batch Reactor (SBR) Technology under Lohia Vihar Yojna, Bareilly.	0.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. रामगंगा नगर आवासीय योजना में स्थित 45.00 मी. चौड़ी सड़क पर सेक्टर-5, 7, 8, 9 के मध्य स्थित चौराहे पर नकटिया नदी से पहाड़गंज की ओर जाने वाली 30.00 मी. चौड़ी सड़क पर सेक्टर-1, 2 एवं 4 के मध्य स्थित तिराहे पर तथा डेलापीर रोड स्थित तिराहे पर कुल तीन स्थानों पर अशोक स्तम्भ लगाये जाने का कार्य।	0.25	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		4. डेलापीर तिराहे से पीलीभीत बाईपास तिराहे तक जाने वाल सड़क के बायी ओर मुंशी नगर से नार्थ सिटी कालोनी तक 250 एम.एम.डाय़ा डी.आई.वाटर लाइन व पीलीभीत बाईपास तिराहे तक 125 एम.एम.डाय़ा पी.वी.सी. पाइप लाईन डालने का कार्य।	0.58	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		5. रामपुर रोड झुमका तिराहे के समीप निर्माणाधीन द्वार पर पत्थर लगाने का कार्य।	1.37	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		6. बदायूं रोड जुए की पुलिया के समीप निर्माणाधीन द्वारा पत्थर लगाने का कार्य।	1.42	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		7. शाहजहाँपुर रोड इनवर्टिज यूनिवर्सिटी के समीप निर्माणाधीन द्वारा पत्थर लगाने का कार्य।	1.37	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		8. पीलीभीत बाईपास रोड से वनखण्डीनाथ मन्दिर तक सड़क सुदृढीकरण नाले/कलवर्ट की मरम्मत फुटपाथ निर्माण एवं पकिंग बनाने का कार्य।	1.85	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		9. बरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय से डी.डी.पुरम तक 9.00 मी. चौड़ी सड़क का सुदृढीकरण का कार्य।	0.08	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		10. के.के. हास्पिटल रोड पूर्व निर्मित सेन्टल वर्ज पर एम.एस. स्टील की रेलिंग लगाने का कार्य।	0.21	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	8.10	
4	वाराणसी	1. वाराणसी शहर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य।	0.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		2. वाराणसी शहर में विभिन्न मार्गों पर आवश्यकतानुसार फुटपाथ का निर्माण एवं टेबलटॉप स्पीडब्रेकर का निर्माण कार्य।	3.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		3. वाराणसी शहर में विभिन्न स्थानों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य।	3.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		4. संजय नगर कालोनी काटन मील में निर्मित एच.आई.जी., एम.ई.जी., एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के पास सड़कों के सुदृढीकरण का कार्य।	0.67	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		5. वाराणसी शहर के विभिन्न पार्कों में ओपन जिम के निर्माण कार्य।	1.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		6. विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, नाली, सौन्दर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	4.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		7. ट्रांसपोर्ट नगर योजना के वाह्य विकास कार्य।	20.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		8. देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में 250 वर्ष से अधिक बाबा बड़े गैबीनाथजी की तपोस्थली मंदिर परिसर के विकास कार्य।	0.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		9. रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के मध्य एवं समीप सम्पर्क मार्गों के सुदृढीकरण का कार्य।	1.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से स्वीकृत प्रोजेक्ट।
		योग-	33.67	
		1. देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बाबा बड़े गैबीनाथजी की तपोस्थली मंदिर परिसर में कुण्ड का विकास कार्य।	1.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से प्रस्तावित प्रोजेक्ट।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		2. नगँवा स्थित संत रविदास पार्क के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार का कार्य।	2.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से प्रस्तावित प्रोजेक्ट।
		3. रविदास घाट पर दिव्यागंजनों हेतु रैम्प का निर्माण कार्य।	1.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से प्रस्तावित प्रोजेक्ट।
		योग-	4.50	
		1. वाराणसी शहर के अन्तर्गत भोजुबीर सिन्धोरा रोड पर नटिनियादाई मन्दिर से रिंगरोड तक स्टार्मवाटर ड्रेनेज का निर्माण कार्य।	3.56	राज्य अवस्थापना निधि से वित्तपोषित प्रोजेक्ट।
		2. सिटी डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत वाराणसी नगर के चिह्नित मुख्य मार्गों पर फुटपाथ व टेबलटॉप स्पीडब्रेकर के निर्माण/विकास कार्य।	4.83	राज्य अवस्थापना निधि से वित्तपोषित प्रोजेक्ट।
		3. मण्डलायुक्त, वाराणसी के कार्यालय प्रांगण में बेसमेंट पार्किंग के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव।	41.47	राज्य अवस्थापना निधि से वित्तपोषित प्रोजेक्ट।
		योग-	49.86	
		वाराणसी कुल योग-	88.03	
5	अलीगढ़	1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 15000 पौधारोपण का कार्य।	0.53	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. स्वर्णजयन्ती नगर स्थित मिर्जापुरम पार्क में झूले लगाने का कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. शताब्दीनगर, एटा बाईपास पर पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		4. राजे"वर कालोनी सुरेन्द्रनगर से पार्क का सौन्दर्यीकरण व ओपन जिम लगाने का कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		5. अलीगढ़ शहर के सीमाओं पर साइनेज बोर्ड लगाने का कार्य (दिल्ली रोड, एटारोड, रामघाट रोड एवं आगरा रोड)	0.34	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		6. स्वर्णजयन्ती नगर स्थित शिव शक्ति पार्क में ओपन जिम लगाने का कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		7. स्वर्णजयन्ती नगर विस्तार योजना में ऑक्सीजन पार्क में झूले लगाने का कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		8. स्वर्णजयन्ती नगर विस्तार योजना में एच.आई.जी.-01 से लॉविस्टा तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	0.38	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		9. रामघाट रोड जाफरी ड्रेन के किनारे चिल्कौरा गाँव होते हुए चिल्कौरा बिजली घर (कैरवी अर्जिट) तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	2.26	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		10. राजीवनगर एम0के0 जो"ी के मकान से राजेन्द्र सिंह के मकान तक सड़क, नाली का निर्माण कार्य।	0.44	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		11. मोहित नगाइच के मकान से सिद्धे"वर महादेव मंदिर चौराहे तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य। (वार्ड सं0-53, मौहल्ला राजीव नगर)	0.30	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		12. राहुल के मकान से आदित्य अपार्टमेन्ट तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। (वार्ड सं0-53, मौहल्ला राजीव नगर)	0.72	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		13. तरुण वैली के पीछे (क्वार्सी) श्री हरेन्द्र सिंह के मकान से श्री राजेश उपाध्याय के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.22	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		14. राज्य कर्मचारी कालोनी में स्थित पार्क में ओपन जिम का निर्माण कार्य।	0.08	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		15. राजविहार कालोनी (पी.ए.सी.) गली नं0-02 में श्री गुलवीर के मकान से श्री मुनेश चौधरी के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.10	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		16. तालसपुर नाले पर चक्की के सामने श्रीमती आशा शर्मा के मकान से श्री हरपाल सिंह के मकान तक सी.सी. सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.17	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		17. धनीपुर, मोहननगर में नन्मल के घर से धनीपुरमण्डी की दीवार तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.12	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		18. रामघाट रोड स्थित क्वार्सी चौराहे से तालानगरी/दिल्ली पब्लिक स्कूल तक डिवाइडर का निर्माण कार्य।	3.19	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		19. 45वीं वाहिनी पी0ए0सी0 परिसर में स्थित बच्चा पार्क, मन्दिर परिसर एवं क्वॉर्टर्स गार्ड में 03 नग हाईमास्ट लगाने का कार्य।	0.25	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		20. नवसृजित पुलिस उप महानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ के निर्माणाधीन कार्यालय एवं आवास के सामने पटरी की मरम्मत का कार्य।	0.12	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		21. असदपुर क्याम ओजोन सिटी से महुआ खेड़ा थाने तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	0.90	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		22. असदपुर क्याम में स्थित भा0ज0पा0 कार्यालय से होकर असदपुर क्याम मोड़ तक सड़क का सुदृढीकरण का कार्य।	0.66	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		23. स्वर्ण जयन्ती नगर ई.डब्लू.एस. भवनों के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण व ओपन जिम लगाने का कार्य।	0.10	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		24. क्वार्सी चौराहे से असदपुर क्यामपुर तक सड़क का निर्माण कार्य।	1.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		25. असदपुर क्यामपुर मोड़ से एटाचुंगी चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण/निर्माण कार्य।	6.47	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		26. स्वर्णजयन्ती नगर योजना में एल0आई0जी0 एवं ई0डब्लू0एस0 भवन के बीच में पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं झूले लगाने का कार्य।	0.07	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		27. एटाचुंगी चौराहे पर पूर्व में लगी हाई मास्ट लाइट की मरम्मत का कार्य।	0.01	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		28. राजीव गांधी एडीए कालोनी, सासनी गेट, अलीगढ़ में पार्क का विकास कार्य।	0.08	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		29. विकासनगर एडीए कालोनी, सासनी गेट स्थित कां० गीराम पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	0.02	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		30. स्वर्णजयन्ती नगर में एच.आई.जी.-39 से 47 तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.49	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		31. मोती मिल कम्पाउण्ड हीरालाल बारह सैनी इण्टर कॉलेज के सामने सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	0.20	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		32. पुलिस चौकी पैराई मोड़ पर एक हाई मास्ट लाइट लगाने का कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		अलीगढ़ योग-	19.85	
6	मुजफ्फरनगर	01 ग्राम-खानुपर,सरधन, मढकरीमपुर, टबीटा(2) में वाटर कूलर लगाने का कार्य।	0.075	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		02 ग्राम-मन्सूरपुर में हरिजन शमशान की बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		03 ग्राम-जोहरा इस्लामाबाद में 450 मी० काली सडक के निर्माण का कार्य।	0.45	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		04 ग्राम-खानूपुर में सामुदायिक केन्द्र की मरम्मत का कार्य।	0.05	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		05 ग्राम-खतौली ग्रामीण शुगर मिल में फलावदा रोड रजवाहे की पूर्व दिशा से आर्य जूनियर हाई स्कूल जानसठ रोड तक 500 मी० सडक निर्माण।	0.40	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		06 ग्राम-शेखपुरा की रेडापुरी हरिजन धर्मशाला में 30 फुट गुणा 26 फुट के हॉल का निर्माण।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		07 ग्राम-सठेडी की हरिजन बस्ती में 1000 वर्गमी सी०सी०/इण्टरलाकिंग सडक का निर्माण।	0.20	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		08 ग्राम-गंगधाडी में हरिजन बारात घर में टीनशैड का निर्माण।	0.02	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		09 ग्राम-भांयगी के मजरा भंगेला में हरिजन शमशान घाट तक 100 मी० सी०सी० रोड का निर्माण।	0.06	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		10 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मेरठ से मुजफ्फरनगर भाग की डी०पी०आर० तैयार करने हेतु।	0.22	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		11 पचैण्डा रोड पुल के नीचे जनपद पुलिस कन्ट्रोल रूम के सामने से क्राईम ब्रान्च/पुलिस गैस्ट हाउस भोपा ओवर ब्रिज के नीचे सडक का निर्माण कार्य।	0.40	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		12 मुजफ्फरनगर के कम्पनी गार्डन में बाउन्ड्री से सटे हुए फुटपाथ पर फल सब्जी हेतु माड्यूलर शेड, ऑनोमेटल लाईट पोल आदि का कार्य।	0.48	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		13 मुजफ्फरनगर के सरकुलर रोड पर स्थित जी०आई०सी० ग्राउण्ड में 5 क्योस्क, 5 टेबल शेड सहित, ऑनोमेटल लाईट पोल आदि का कार्य।	0.14	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		14 मौ० गांधी नगर में ऑगन रेस्टोरेन्ट से सुरेश इलैक्ट्रीक(पानी की टंकी के समीप) तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.52	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		15 मौ० शान्तीनगर में गुड्डू के मकान से मनीष गर्ग के मकान तक तथा योगेन्द्र के मकान से कुलदीप के मकान तक सी०सी० रोड व नाली का	0.31	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		निर्माण कार्य।		
		16 मौ० गांधीनगर में जिंदल टायर से अंतिम छोर तक एवं खन्ना ट्रांसपोर्ट वाले टी सेफ रोड पर सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.30	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		17 सुभाष नगर गली नं०-17 में बीरबल त्यागी के मकान से श्रीदेव के मकान तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.09	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		18 चरथावल रोड पर शनि मन्दिर के सामने खान्जाहापुर में रविन्द्र कुमार के मकान से बालेश के मकान तक आर०सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	0.1301	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		19 मौ० गांधीनगर में 50 फुट रोड पर गोकुल मैरिज होम से छांगे के मन्दिर तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.4685	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		20 मौ० शान्तीनगर में गली नं०-7 में बंजारा प्रोपर्टीज के सामने बन्द गली(हिमांशु वाली गली) तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.2559	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		21 मौ० अग्रसेन विहार में श्रीराम चौक के निकट न्यू होरिजन स्कूल गेट नं०-2 वाली गली में सड़क ऊंचीकरण व नाली का निर्माण कार्य।	0.3466	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		22 मौ० गांधीनगर में पुलिस चौकी से 50 फुटा रोड तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.1539	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		23. मौ० जैन मिलन विहार में सी०सी० रोड व नालियों के सुदृढीकरण का कार्य।	0.7287	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		24. मौ० गांधीनगर में सब्जी मण्डी मुख्य मार्ग से पानी की टंकी के अन्तिम छोर तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.6453	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		25. पचैण्डा रोड पर शेखर नर्सिंग होम के सामने आदर्श कालोनी में एडवोकेट चन्द्रवीर सिंह के मकान से होते हुए हरिराम के मकान तक सी०सी० रोड के दोनों ओर इण्टर्लॉकिंग पेवर ब्लाक्स(टाईल्स) लगाने का कार्य।	0.0923	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		26. ग्राम खेडी विरान में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		27. ग्राम बीबीपुर में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		28 ग्राम सुजडू में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		29 ग्राम सिलाजुडडी में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		30 ग्राम वहलना में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		31. ग्राम जटमुझेडा में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		32. ग्राम भन्डूरा में दो कमरे, एक बरामदा की एक ग्रामीण चौपाल का निर्माण कार्य।	0.1776	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		33. ग्राम मुनवरपुर कंला में धर्म सिंह के मकान से मन्सूरपुर-फहीमपुर सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	0.189	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		34 ग्राम शेरनगर में अनुसूचित जाति बस्ती में रविदास मंदिर वाली रोड पर आशाराम के मकान से मंगल के मकान तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	0.0897	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		35 ग्राम धन्धेडा में राकेश पाल के मकान से अनुसूचित समाज की ओर जाने वाली सडक का निर्माण कार्य।	0.2816	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		36 हरिवृन्दावन सिटी में 02 हाईमास्ट लाईट एवं ग्राम सहावली में रविदास मंदिर के पास हाई मास्ट लाईट लगाने का कार्य।	0.1604	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		37 ग्राम सहावली में अनुसूचित जाति बस्ती में 02 वाटर कूलर स्थापना का कार्य।	0.0185	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		38 जानसठ रोड पर नाले की पुलिया से ग्राम सहावली तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य।	0.2594	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		39 ग्राम बिलासपुर में अनुसूचित जाति बस्ती में बिजेन्द्र पुत्र राजमल के मकान से अतर सिंह टेलर पुत्र रूडा के मकान तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	0.049	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		40 ग्राम बिलासपुर में अनुसूचित जाति बस्ती में हरबीर पुत्र श्री नत्थू के मकान से अनुसूचित प्लाट पुलिया तक एवं मौजम चौ0 के मकान से राजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र के मकान तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	0.0444	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		41 ग्राम बिलासपुर में अनुसूचित जाति बस्ती में सुनपत के मकान से अरविन्द के मकान तक एवं मा0 सौराज के प्लाट से लक्ष्मण पुत्र बुद्धसिंह के प्लाट तक	0.0898	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।		
		42 ग्राम लाडपुर में अनुसूचित जाति बस्ती में सुभाष पुत्र दासे के मकान से सोनू पुत्र प्रीतम के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	0.1011	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		43 ग्राम पुट्टा मजरा बुआडा खुर्द मे अनुसूचित जाति बस्ती में सतबीर के मकान से भवर कली के मकान तक इंटरलॉकिंग व के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	0.0289	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		44. ग्राम भैंसी में अनुसूचित जाति बस्ती में 02 हाई मास्ट लाईट व 02 वाटर कूलर।	0.125	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		45. ग्राम रायपुर नंगली में विकास पुत्र श्री प्रेम सिंह के मकान से बसन्त पुत्र श्री मंगलदास के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	0.0493	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		46. ग्राम फुलत में जगदीश पुत्र श्री मामराज के मकान से विठ्ठलकुमार के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	0.1714	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		47. ग्राम तिगाई मुबारिकपुर में राधेश्याम अनुसूचित बस्ती में मदनपाल जोगी के मकान तक व 60 अनुसूचित चौक से सुमन पाल के मकान तक इंटरलॉकिंग व के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	0.0587	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		48. ग्राम मन्धेडा में स्वामी समनदास आश्रम में वाटर कूलर व एक हाईमास्ट लाईट।	0.07	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		49 ग्राम मन्धेडा में कश्यप मंदिर के पास चौराहे पर एक हाई मास्ट लाईट।	0.0625	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		50 ग्राम मन्धेडा में श्री नरेन्द्र के मकान से डा0 कश्यप के मकान तक व श्री पूरण कश्यप के मकान से श्री अमर कश्यप के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0689	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		51 ग्राम नावला में श्री बीरू के मकान से श्री पंकज के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0177	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		52 ग्राम नावला में श्री उधारा के मकान से समन्दर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0301	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		53 ग्राम नावला में श्री राजबीर के मकान से रामबीर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0142	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		54 ग्राम नावला में श्री समन्दर के मकान से ओमपाल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.014	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		55 ग्राम में नावला में श्रीमति आशा के मकान से पाल्लू के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0677	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		56 ग्राम नावला में श्री बलसिंह के मकान से चन्द्रभान के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0288	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		57 ग्राम नावला में श्री बालेवर के मकान से मुल्ला बकरी वाले के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.0351	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		58 ग्राम नावला में श्री मोनू के मकान से ओमबीर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.047	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		59 ग्राम बेगराजपुर में श्री विनोद पाल पुत्र श्री ताराचन्द के मकान के बराबर से रविदास मंदिर की दीवार तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.1237	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		60. ग्राम हुसैनपुर बोपाडा में श्री योगेन्द्र वाल्मिकि के घर से जगपाल हरिजन के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.1493	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		मुजफ्फरनगर कुल योग-	10.42	
7	आगरा	5. Acquisition of Land for Roads / Public Utilities and/or Public spaces through TDR/ landpooling scheme / Land for land. Minimum width if such roads should be 18m.	10.00	Incentive claim submitted to GOI
		6. Complete Streets - Plan for Pedestrians	14 .00	Incentive claim submitted to GOI
		7. Promotion of River front development	19 .00	Incentive claim submitted to GOI
		योग-	43.00	
		1- Installation of 6 new water ATMs at various locations	0.37	Development Authority

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				infrastructure scheme
		2. Supply, Installation and Commissioning of Light and Sound show at Fatehpur sikri	5.95	Development Authority infrastructure scheme
		3. Facade Lighting at Fatehpur Sikri	2.87	Development Authority infrastructure scheme
		4. Facade Lighting works at Agra Fort	4.99	Development Authority infrastructure scheme
		5. Setting up of Public Announcement System (Smart Pole) at Taj mahal the facilitation of the Tourists	0.77	Development Authority infrastructure scheme
		6. Setting up of CCTV System (Smart Pole) at Fatehpur sikri the facilitation of the Tourists	0.77	Development Authority infrastructure scheme
		7. Operation of Golf Cart at Fatehpursikri on outsource basis	0.11	Development Authority infrastructure scheme
		8. Supply and Installation of 4 Tourist Facilitation centers at Taj Mahal westgate Agra t and Fatehpur sikri	0.40	Development Authority infrastructure scheme
		9. Resurfacing work of approach road of Gulistan Parking at Fatehpur sikri	0.79	Development Authority infrastructure scheme
		10. Theme painting at Agra (Per Sq.ft Rate Basis)	0.38	Development Authority infrastructure scheme
		11. Supply and Installation of 700 model Planters Design Roads	0.81	Development Authority infrastructure scheme
		12. Development of Model Road from Hilton Road to Agra Choupati	3.78	Development Authority infrastructure scheme
		13. Development of Horticulture/Land scaping and Taj view cafe at Taj View Point	0.39	Development Authority infrastructure scheme
		14. Beautification,Artifacts, Horticulture,lighting, facade and landscaping under Fly over near Ramada Hotel	2.44	Development Authority infrastructure scheme
		15. Development of ConventionCenter at Agra	200	Development Authority infrastructure scheme
		16. Land Acquisition to assist ADA in Land Purchase / Acquisition activities	0.50	Development Authority infrastructure scheme

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		18. Beautification of Shahid Smarak park by parks, fountains etc.	3.86	Development Authority infrastructure scheme
		19. installation, operation and management of Light and Sound at Shaheed Smarak park	4.95	Development Authority infrastructure scheme
		20. Thematic Transmation of Shastripuram park in to a science park	5.00	Development Authority infrastructure scheme
		21. Landscaping & Thematic Transmation of Subhash Park	5.00	Development Authority infrastructure scheme
		22. Thematic Transmation of Zonal Park at Taj Nagri II, Agra - Govind Vatika	14.31	Development Authority infrastructure scheme
		23. Construction of Agra entry Gate (Phase 2) at inner Ring Road	4.31	Development Authority infrastructure scheme
		24. Road Development & Beautification work - Model Road Double Tree Hilton to Agra Chaupati (Phase 2)	4.96	Development Authority infrastructure scheme
		25. Beautification of Flyover Ramada, Artifacts, Horticulture, Facade, Landscaping and development of model junction at Ramada.	3.19	Development Authority infrastructure scheme
		26. Development of Ghat - 200m upstream from Etmad-ud-daula site	5.00	Development Authority infrastructure scheme
		27. Development of pathway connecting Ghats at Etmad-ud-daula and 11 Sidi	2.00	Development Authority infrastructure scheme
		28. Development of landscape works at Shaheed Smarak park Entry point	2.50	Development Authority infrastructure scheme
		29. Development of Ghat - 100m upstream from 11 Sidi site	5.00	Development Authority infrastructure scheme
		30. Development of landscape works at Shaheed Smarak park Entry point	5.00	Development Authority infrastructure scheme
			योग-	
			290.40	
			आगरा कुल योग-	
			333.00	

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
8	गोरखपुर	1. पैडलेगंज से चिड़ियाघर की बाउण्ड्री तक पैडिस्ट्रीयन स्ट्रीट का निर्माण (3.3 Km)	4.75	Incentive claim submitted to GOI
		2. गोरखनाथ ओवर ब्रिज से महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक तक (सर्वेक्षण कार्य) –(2.0 Km)	0.30	Incentive claim submitted to GOI
		Conservation and Rejuvenation of Water Bodies		Incentive claim submitted to GOI
		3. ताल रामगढ़, गोरखपुर (लगभग 1700 एकड़)	5.00	Incentive claim submitted to GOI
		4. ताल सुमेर सागर, गोलघर, गोरखपुर (लगभग 18.5 एकड़)	24.00	Incentive claim submitted to GOI
		Promotion of River/River front/Water front Rejuvenation.		Incentive claim submitted to GOI
		5- ताल रामगढ़, गोरखपुर	30.00	Incentive claim submitted to GOI
		योग-	64.59	
		1. गोरखपुर शहर में बशारतपुर, बेतियाहाता, देवरिया रोड़ व आक्सफोर्ड स्कूल के पास 5 विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड़ व नाली का निर्माण कार्य।	3.54	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. गोरखपुर में सर्किट हाउस के सामने स्थित 18 मी0 सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का निर्माण कार्य।	3.70	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. गोरखपुर में सर्किट हाउस के सामने से राही होटल तक 11 के0वी0 ओवर हेड फीडर लाईन के शिफ्टिंग का कार्य।	1.51	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		4. गोरखपुर में पुलिस लाईन स्थित परेड ग्राउण्ड पर शेड़ का निर्माण कार्य।	1.11	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		5. गोरखपुर में रामनगर चौराहे से सोनौली रोड़ को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण, आर. सी.सी. डिवाइडर, नाला निर्माण एवं स्ट्रीट लाईट पोल लगाने का कार्य।	3.58	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		6. गोरखपुर में रामनगर चौराहे से सोनौली रोड़ को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण में बाधक विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग एवं पथ प्रकाश का कार्य।	2.03	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	15.47	
		गोरखपुर कुल योग-	80.06	

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
9	गाजियाबाद	2. गाजियाबाद में दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-58ई के कि0मी0 17 में स्थित हिण्डन नदी पर पुराने ब्रिज को तोड़कर नये सेतु का निर्माण कार्य	21.5304	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में मेट्रो रोड एन.एच.-58 से प्रारम्भ कर बाहय रिंग रोड तक पेरिफेरल रोड तथा बाहय रिंग रोड को भोवापुर तक 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य।	47.6248	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		4. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सकुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (विन्दु सं0 ए11-ए12) (मॉड्यूल-6)	5.4322	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		5. ग्राम मोरटा के खसरा सं0-1154/1371 में तालाब की खुदाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	0.4342	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		6. हापुड चुंगी से करहैडा रोटरी तक यू-टर्न बनाने एवं कटों को बन्द करने एवं डिवाइडर ऊंचा करने का कार्य।	3.0264	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		7. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के अन्तर्गत बन्धा रोड पर मोरटी मोड से लेकर हिण्डन नदी तक रिक्त स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने का कार्य।	0.2244	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		8. नन्दग्राम योजना के नवसृजित भूखण्डों के पॉकेट-पी के सामने की बाहरी सड़क की मरम्मत एवं सुदृढीकरण का कार्य।	0.4978	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		9. सिटी फॉरेस्ट के हिण्डन नदी पुल की रंगाई-पुताई एवं वेल्डिंग का कार्य।	0.0175	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		10. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र की सभी सड़कों की एक वर्ष हेतु साफ-सफाई का कार्य।	0.5202	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		11. राजनगर एक्सटेंशन के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक सड़कों पर आवश्यकतानुसार टेबल टॉप बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर बनाने का कार्य।	0.083	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		12. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बन्धा रोड से एस0टी0पी0 को जाने वाली हिण्डन नदी तक बरसाती नाले की सफाई का कार्य।	0.0735	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		13. राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में ब्रेव हार्ट सोसायटी के सामने सर्विस रोड की सरफेस ठीक करने का कार्य।	0.083	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		14. दिल्ली मेट्रो मार्ग (पुराना राष्ट्रीय मार्ग-58) पर मोदीनगर क्षेत्र स्थित झिलमिल कट पर एक एवं राज चौपला पर 2 कुल 3 यू-टर्न बनाने का कार्य।	7.7915	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		15. निवाडी शूटिंग रेंज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	0.3436	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		16. राजनगर योजना में प्रस्तावित सिटी क्लब का निर्माण कार्य।	6.2161	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		17. मधुबन-बापूधाम में बुनकर मार्ट का निर्माण कार्य।	152.5597	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		18. मधुवन बापूधाम योजना के अन्तर्गत रेलवे सम्यार फाटक सं०-7सी ई०-2 के निकट प्रस्तावित 45.00 मी० चौड़ी सड़क पर ऊपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य।	45.181	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		19. एन०एच०-9 से गालन्द में प्रस्तावित कूडाघर तक गंगनहर की पट्टी पर एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	3.4566	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		20. स्वर्ण जयन्ती पार्क, इन्दिरापुरम में म्यूजिकल फाउण्टेन एवं मल्टीमीडिया शो स्थापित करने का कार्य।	4.649	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		21. खसरा नं० 342 ग्राम कड़कड मॉडल, निकट रेलवे लाइन,आई-ब्लॉक, बृज विहार योजना में श्री कालू रावल द्वारा अधिकृत भूमि एवं दिनांक 17.04.2018 को जी०डी०ए० द्वारा मुक्त करायी गयी भूमि पर बारवेड वायर फेंसिंग तथा साइन बोर्ड लगाने का कार्य।	0.0203	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		22. इन्टरस्टेट कनेक्टिविटी के अन्तर्गत मोहन नगर-लोनी गाजियाबाद मार्ग अन्तरराज्यीय बार्डर पर एन्ट्री गेट के निर्माण कार्य।	1.5617	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		23. लोनी गाजियाबाद स्थित डी०एल०एफ० अंकुर विहार की मुख्य सड़क व नाली के निर्माण कार्य	2.126	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		24. वार्ड नं०-18, इन्द्रापुरी डी-ब्लॉक में नीरज मैत्रेय के मकान से डा० निरंजन समानिया के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	0.6755	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		25. राजनगर एक्स० के सम्पूर्ण क्षेत्र में लगी एल०ई०डी० लाईटों के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	0.124	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		26. मधुवन बापूधाम योजना के जी०एच०-3 व जी०एच०-4 के बहुमंजिले भवनों के स्थापित लिफ्टों के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	0.5193	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	386.1941	
		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित वाह्य विकास कार्यों को राज्य सरकार की अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों का विवरण		
		1. मधुवन-बापूधाम योजना में 856 भवनों का निर्माण कार्य वाह्य जलापूर्ति	3.4639	राज्य अवस्थापना निधि से।
		2. मधुवन-बापूधाम योजना में 856 भवनों का निर्माण कार्य वाह्य विद्युतीकरण	2.3681	राज्य अवस्थापना निधि से।
		3. ग्राम डसना में 432 भवनों का निर्माण कार्य/ट्रक सीवर	3.2631	राज्य अवस्थापना निधि से।
		4. ग्राम डसना में 432 भवनों का निर्माण कार्य/वाह्य जलापूर्ति	2.2834	राज्य अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		5. ग्राम डासना में 432 भवनों का निर्माण कार्य/वाह्य विद्युतीकरण	3.3588	राज्य अवस्थापना निधि से।
		6. प्रताप विहार योजना में 1200 भवनों का निर्माण कार्य ट्रंक ड्रेन	0.5820	राज्य अवस्थापना निधि से।
		7. प्रताप विहार योजना में 1200 भवनों का निर्माण कार्य वाह्य जलापूर्ति	2.4744	राज्य अवस्थापना निधि से।
		8. प्रताप विहार योजना में 1200 भवनों का निर्माण कार्य वाह्य विद्युतीकरण	5.4733	राज्य अवस्थापना निधि से।
		9. ग्राम नूरनगर में 480 भवनों निर्माण कायएप्रोच रोड	0.6670	राज्य अवस्थापना निधि से।
		10.ग्राम नूरनगर में 480 भवनों निर्माण काय ट्रंक ड्रेन	5.3881	राज्य अवस्थापना निधि से।
		11.ग्राम नूरनगर में 480 भवनों निर्माण काय वाह्य जलापूर्ति	1.2987	राज्य अवस्थापना निधि से।
		12.ग्राम नूरनगर में 480 भवनों निर्माण काय वाह्य विद्युतीकरण	4.7847	राज्य अवस्थापना निधि से।
		13.ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों निर्माण कार्य/एप्रोच रोड	0.8518	राज्य अवस्थापना निधि से।
		14.ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों निर्माण कार्य/ट्रंक ड्रेन	2.8480	राज्य अवस्थापना निधि से।
		15.ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों निर्माण कार्य/ ट्रंक सीवर	2.9476	राज्य अवस्थापना निधि से।
		16.ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों निर्माण कार्य/ वाह्य जलापूर्ति	1.3798	राज्य अवस्थापना निधि से।
		17 ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों निर्माण कार्य/वाह्य विद्युतीकरण	3.3353	राज्य अवस्थापना निधि से।
		योग-	46.768	
		गाजियाबाद योग-	432.962	
10	मथुरा-वृन्दावन	Pedestrians Friendly Complete street.		
		2. भूतेश्वर तिराहे से गोवर्धन चौराहे तक 2.00 कि.मी.	1.86	Incentive claim submitted to GOI

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		Conservation and Rejuvenation of Water Bodies		
		3. धौली पियाऊ कुण्ड का पुर्न निर्माण/जीर्णोधार	8.87	Incentive claim submitted to GOI
		Promotion of River/Riverfront/Water front RejuvenationProjects		
		4. बंगालीघाट से कंस किला तक 1.2 कि.मी.	70.00	Incentive claim submitted to GOI
		Creation of Urban Forest		
		5. अहिल्लागंज बॉगरवन पी.एम.वी., आई.टी. आई. कॉलेज के सामने	24.00	Incentive claim submitted to GOI
		योग-	252.73	
		1. मथुरा जनपद में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न स्थलों का अवस्थापना का कार्य।	10.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. मथुरा गोवर्धन मुख्य मार्ग को माडल मार्ग के रूप में विकसित किये जाने का कार्य।	15.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. एन.एच.-19 छटीकरा से राधाकुण्ड मार्ग को माडल मार्ग के रूप में विकसित किये जाने का कार्य।	15.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		4. मथुरा-वृन्दावन में विभिन्न प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं हेतु ब्रिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रसिद्ध भोजन एवं अल्प आहार से सम्बन्धित चौपाटी विकसित किये जाने का कार्य।	6.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		5. मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र के मार्गों पर गेटों का निर्माण कार्य।	5.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		6. वृन्दावन में परिक्रमा मार्ग पर विभिन्न 06 स्थानों पर पिंक टायलेट का कार्य।	2.75	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	53.75	
		मथुरा-वृन्दावन कुल योग-	306.48	
11	झॉसी	2. रामलीला मैदान क्राफ्ट मेला मैदान के समीप वाटर फ्रंट पुर्नोधार का कार्य।	17.00	Incentive claim submitted to GOI
		3. पेडीस्ट्रियन फैंड्रेली हेरिटेज स्ट्रीट का कार्य।	7.00	Incentive claim submitted to GOI

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		4. Construction of Exhibition center in Jhansi	29.79	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		5. Development of Indoor Sports complex in Jhansi	17.52	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	81.31	
12	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद	2.शिकोहाबाद शहर में स्टेशन रोड को मॉडल रोड बनाये जाने का प्रस्ताव	10.00	Incentive claim submitted to GOI
		3.फिरोजाबाद शहर में राजा का ताल स्थित तालाब का जीर्णोधार/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.00	Incentive claim submitted to GOI
		4. टुण्डला शहर में मोहम्मदाबाद स्थित तालाब का जीर्णोधार/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.00	Incentive claim submitted to GOI
		5. फिरोजाबाद शहर में इन्डोर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण	17.00	Incentive claim submitted to GOI
		6. फिरोजाबाद शहर में 10 विभिन्न पार्कों का जीर्णोधार/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8.00	Incentive claim submitted to GOI
		7. एन.एच.-2 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.00	Incentive claim submitted to GOI
		योग-	51.00	
		1. फिरोजाबाद शहर में मौडा चौराहे से सिविल लाइन तक व अन्य स्थल पर तिरंगा एलईडी सहित स्ट्रीट लाइट लगाये जाने का कार्य।	1.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		2. प्राधिकरण विकास क्षेत्र में वॉल पेन्टिंग का कार्य।	0.60	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	2.10	
		फिरोजाबाद-शिकोहाबाद कुल योग-	53.10	
13	मेरठ	2. वेद-व्यासपुरी में मियाँवाकी पद्धति आधारित 2.50 हेक्टेयर में सिटी फारेस्ट की स्थापना।	0.61	Incentive claim submitted to GOI
		3. गगोल तीर्थ पर स्थित जलाशय का विकास।	2.00	Incentive claim submitted to GOI
		योग-	19.87	
		1. मेरठ मण्डपम् कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना	12.00	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		2. वेद व्यासपुरी में क्रान्तिधरा थीमपार्क की स्थापना	6.97	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		3. शहीद स्मारक का उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	0.50	प्राधिकरण अवस्थापना निधि से।
		योग-	19.47	
		मेरठ कुल योग-	39.34	
14	कानपुर	2. जाजमऊ चौराहे से गंगा नदी के पुल तक व नये पुल पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	.96	Development Authority infrastructure scheme
		3. जाजमऊ चौराहे से कैंट के प्रवेश स्थल तक सेन्ट्रल डिवाइडर का निर्माण कार्य।	1.96	Development Authority infrastructure scheme
		4. जाजमऊ पुलिस थाना चौराहे से कैंट के प्रवेश द्वार तक सेन्ट्रल डिवाइडर पर औद्योगिक सौन्दर्यीकरण एवं 01 वर्ष के अनुरक्षण का कार्य।	0.42	Development Authority infrastructure scheme
		5. जाजमऊ में विश्वकर्मा द्वार के समीप बने ट्रैफिक आईलैण्ड तथा विश्वकर्मा द्वार से जाजमऊ पुलिस चौकी तक वॉयी ओर रोडसाइड गार्डन में सौन्दर्यीकरण हेतु सिविल कार्य।	0.50	Development Authority infrastructure scheme
		6. कानपुर नगर में स्थित ग्राम मसवॉनपुर में वेटलैण्ड के अन्तर्गत मामा तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य।	5.75	Development Authority infrastructure scheme
		7. गंगा बैराज के समीपवर्ती स्थल पर स्थापित थीम लाईटिंग हेतु आडियो सिस्टम की स्थापना का कार्य।	1.98	Development Authority infrastructure scheme
		8. जन्हवी-भागीरथी योजना-4 में मियॉवाकी पद्धति से वृक्षारोपण का कार्य (पार्ट-ए)	1.28	Development Authority infrastructure scheme
		9. जन्हवी-भागीरथी योजना-4 में मियॉवाकी पद्धति से वृक्षारोपण का कार्य (पार्ट-बी)	1.03	Development Authority infrastructure scheme
		10. जन्हवी-भागीरथी योजना-4 में मियॉवाकी पद्धति से वृक्षारोपण का कार्य (पार्ट-सी)	0.72	Development Authority infrastructure scheme
		11. नजूल भूमि पर पार्क का विकास कार्य।	2.00	Development Authority infrastructure scheme
		योग-	17.71	
15	प्रयागराज	2. Shifting of eleven KV/lt line at parde sangam and arail site Prayagraj for	1.74	Incentive claim submitted to GOI

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		ropeway at sangam.		
		3. Construction of gate at boat club approach marg.	0.02	Development Authority infrastructure scheme
		4. Construction of approach marg at boat club .	0.01	Development Authority infrastructure scheme
		5. Construction of road in front of water tant at Minto road Prayagraj .	0.22	Development Authority infrastructure scheme
		6.Metro rail service (consultancy and survey work)	3.25	Development Authority infrastructure scheme
		7. Traffic children park.	1.16	Development Authority infrastructure scheme
		8. Someshwar mahadev mandir.	0.64	Development Authority infrastructure scheme
		9.Maintenance of Rotary (for 5 years)	3.05	Development Authority infrastructure scheme
		योग-	10.42	
16	लखनऊ	1 बटलर पैलेस स्थित बटलर झील का पुनर्गोधार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य ।	3.15	Incentive claim submitted to GOI
		2. सी.जी.सिटी योजना में वेटलैण्ड का विकास कार्य ।	2.35	Incentive claim submitted to GOI
		3. जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर-3 स्थित खरगापुर तालाब का पुनर्गोधार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य ।	2.78	Incentive claim submitted to GOI
		4. शारदानगर योजना के अन्तर्गत रक्षाखण्ड एल्लिकों उद्यान-2 में स्थित झील का बायो इन्जीनियरिंग तकनीक के माध्यम से सौन्दर्यीकरण का कार्य ।	3.69	Incentive claim submitted to GOI
		5. सी.जी. योजना में मियाँवाकी पद्धति पर फॉरेस्ट का निर्माण ।	1.00	Incentive claim submitted to GOI
		योग-	12.97	

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5

कुल महायोग- **1532.37**